लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 1412
उत्तर देने की तारीखः 11.02.2020

वृद्धाश्रमों का कार्यकरण

1412. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा कितने वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं;
(ख) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले वृद्धाश्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) वृद्धाश्रमों में राज्य-वार कितने लोग कार्य कर रहे हैं;
(घ) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रमों में रह रहे वृद्ध लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कार्यान्वयन एजेंसियों को वृद्धाश्रम के अनुरक्षण और संचालन के लिए अनुदान सहायता देता है । ऐसे वृद्धाश्रमों की कुल संख्या 500 है जिनके लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान सहायता दी जाती है।

(ख) और (ग): यह मंत्रालय एकीकृत वरिष्ठ नागरिकों कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) की केंद्र क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों ग्रहों (वृद्धाश्रमों / सतत देखभाल ग्रहों, मोबाइल मेडिकेयर यूनिटों आदि के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए पंजीकृत सोसाइटियों / पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) / स्थानीय निकायों, गैर सरकारी / स्वेच्छिक संगठनों, स्वायत्त / अधीनस्थ निकायों के रूप में सरकार द्वारा स्थापित संस्थानों या संगठनों, सरकारी मान्यता प्राप्त शेक्षिक संस्थानों, धर्मार्थ अस्पतालों / नर्सिंग होमों और मान्यता प्राप्त युवा संगठनों जैसे नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवायकेएस) के माध्यम से राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिये अनुदान दिया जाता है। इस योजना का मुख्या उद्देश्य आश्रय, भोजन, चिकित्सा, देखभाल और मनोरंजन सुबिधायें दे कर वरिष्ठ नागरिकों की जीवनी की गुणवत्ता में सुधर लाना है।

एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) सम्बन्धी योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त वरिष्ठ नागरिकों (एसआर सीएचएस) का व्योरा अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 11.02.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में

आई पी एस आर सी सम्बन्धी योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों ग्रहों (एस आर सी एच एस) और वहां लाभार्थियों की संख्या राज्यवार का व्योरा

क्रम संख्या	राज्य का नाम	वरिष्ठ नागरिक गृह	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	76	1975
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-
3	असम	28	750
4	बिहार	02	50
5	छत्तीसगढ़	01	25
6	दिल्ली	02	50
7	गुजरात	12	300
8	हरियाणा	16	400
9	हिमाचल प्रदेश	02	50
10	कर्नाटक	38	1125
11	केरल	05	125
12	मध्य प्रदेश	15	400
13	मणिपुर	35	925
14	महाराष्ट्र	55	1700
15	नागालैंड	02	50
16	ओडिसा	76	2075
17	पंजाब	03	75
18	पुड्डुचेरी	02	50
19	राजस्थान	07	200
20	तमिलनाडु	61	1575
21	तेलंगाना	18	450
22	त्रिपुरा	04	100
23	उत्तर प्रदेश	15	375
24	उत्तराखंड	04	125
25	पश्चिम बंगाल	21	550
	कुल	**500**	**13500**